भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 520
29 नवंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभ और लंबित आवेदन

520. श्री नीरज डांगी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत कितने किसानों को लाभ प्रदान किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजना के पात्र लाभार्थियों को अब तक किश्तों में कितनी राशि जारी की गई है;

(ग) क्या पीएम-किसान के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसानों के आवेदन अभी भी लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आज की तारीख तक विशेषकर राजस्थान राज्य में पीएम-किसान के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लाभार्थी किसानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख) पीएम-किसान योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से अंतरित की जाती है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 18 किस्तों में रुपये 3.46 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की है। पिछले दो वर्षों में पीएम-किसान के तहत लाभान्वित लाभार्थियों और उन्हें जारी की गई राशि का किस्त-वार विवरण निम्न प्रकार है:-

किस्त अवधि	लाभार्थी	जारी की गई राशि (रुपये करोड़ में)
दिसम्बर, 2022 - मार्च, 2023	8,12,34,383	17,649.42
अप्रैल, 2023 - जुलाई, 2023	8,56,76,569	19,202.49
अगस्त, 2023 - नवम्बर, 2023	8,12,16,250	19,596.60
दिसम्बर, 2023 - मार्च, 2024	9,04,27,479	23,087.44
अप्रैल, 2024 - जुलाई, 2024	9,37,67,395	21,029.96
अगस्त, 2024 - नवम्बर, 2024	9,58,97,635	20,657.36

(ग) और (घ) पीएम-किसान योजना के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और सत्यापन करने तथा लाभ के सफल हस्तांतरण के लिए भूमि रिकॉर्ड, आधार से जुड़े उनके बैंक खातों और ई-केवाईसी सहित पात्र किसानों का त्रुटि-रहित डेटा अपलोड करना अनिवार्य है। योजना में किसानों का पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। किसान पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ऐसे सभी आवेदनों को संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उचित सत्यापन के बाद अनुमोदित किया जाता है। एक बार जब इसे राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो विभाग द्वारा तुरंत लाभ वितरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिया जाता है और इसे अगली किस्त में उनको जारी किया जाता है।

(ङ) राजस्थान राज्य में पीएम-किसान के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों और उन्हें जारी की गई राशि का विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

अनुबंध

राजस्थान राज्य में पीएम-किसान के अंतर्गत लाभार्थियों का विवरण और जारी की गई राशि

क्रमांक	किस्त अवधि	**लाभार्थी**	**जारी की गई राशि (रुपये करोड़ में)**
1	दिसम्बर, 2018 - मार्च, 2019	64,993	12.9986
2	अप्रैल, 2019 - जुलाई, 2019	38,34,966	1,191.47
3	अगस्त, 2019 - नवम्बर, 2019	47,82,875	1,138.02
4	दिसम्बर, 2019 - मार्च, 2020	48,49,034	1,053.28
5	अप्रैल, 2020 - जुलाई, 2020	57,10,181	1,463.77
6	अगस्त, 2020 - नवम्बर, 2020	63,15,588	1,425.38
7	दिसम्बर, 2020 - मार्च, 2021	66,41,747	1,432.89
8	अप्रैल, 2021 - जुलाई, 2021	69,32,895	1,600.32
9	अगस्त, 2021 - नवम्बर, 2021	69,68,392	1,468.18
10	दिसम्बर, 2021 - मार्च, 2022	71,43,461	1,525.19
11	अप्रैल, 2022 - जुलाई, 2022	71,11,293	1,493.25
12	अगस्त, 2022 - नवम्बर, 2022	56,71,257	1,163.89
13	दिसम्बर, 2022 - मार्च, 2023	53,89,136	1,136.72
14	अप्रैल, 2023 - जुलाई, 2023	56,88,844	1,283.26
15	अगस्त, 2023 - नवम्बर, 2023	48,65,929	1,179.78
16	दिसम्बर, 2023 - मार्च, 2024	62,60,280	1,640.93
17	अप्रैल, 2024 - जुलाई, 2024	67,25,665	1,525.57
18	अगस्त, 2024 - नवम्बर, 204	70,31,163	1,544.86

*****